संख्या-53/2022/1052/22-2-2020-17(392)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 28 मई, 2022*

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरबाबू पुत्र श्री बादाम सिंह, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे-5-दया0 बैठक-28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरबाबू पुत्र श्री बादाम सिंह, जो गौटिया अरूवा खानपुर, थाना-कांट, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा हाकिम सिंह की लड़की से कोर्ट मैरिज करने को लेकर मन मुटाव चल रहा था इसी रंजिश को लेकर दिनांक 20/21.09.1989 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हाकिम सिंह को आग लगा कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-267/1997 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 364, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-03, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 17.02.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 29.08.2020 तक 13 वर्ष, 09 माह, 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 07 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर ने बन्दी द्वारा कारित अपराध अघन्य अपराध की श्रेणी में आता है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की पूर्ण संभावना होने, जनहित में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, शाहजहांपुर की आख्या से सहमत होते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने सिद्धदोष बन्दी वीरबाबू पुत्र श्री बादाम सिंह द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी वीरबाबू (बन्दी संख्या-45701) पुत्र श्री बादाम सिंह, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-53/2022/1052(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।

2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।